न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
42/2021	26/04/2021	20/06/2025

1. रामचन्द्र पुत्र श्री नाथूलाल जाति कलाल निवासी लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल निवासी सागोंद तह० सागोंद जिला कोटा राज०

2. जगदीश पुत्र श्री नाथूलाल जाति कलाल निवासी लुहावद हाल निवासी मकान नं. ए 69 वैशाली नगर थेगडा के पास कोटा राज०

3. किशनचन्द्र पुत्र श्री नाथूलाल जाति कलाल निवासी लुहावद हाल निवासी मकान नं. ए 69 वैशाली नगर थेगडा के पास कोटा राज०

4. श्रीमति मन्जू पुत्री श्री नाथूलाल पत्नि श्री अनिल निवासी लुहावद निवासी डी.सी.एम. कोटा जिला कोटा राज०

5. श्रीमति रेनू पुत्री श्री नाथूलाल पत्नि श्री अंकित निवासी लुहावद हाल निवासी बोथ बडा तहसील व जिला बारां राज०

6. नाथूलाल पुत्र श्री छगनलाल जाति कलाल निवासी लुहावद हाल निवासी मकान नं. ए 69 वैशाली नगर थेगडा के पास कोटा राज०

वादीगण

बनाम

1. रामू उर्फ रामावतार पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी लुहावद हाल निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

2. जगदीश पुत्र नामनामालूम जाति खठीक निवासी बाईपास रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, आर.टी. एक्ट
निर्णय–20/06/25

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० में वादी कम 1 ता 5 की माता पुष्पाबाई व वादी कम 6 का पति के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि आराजी खसरा नं. 1368 रकबा 0.08 हैक्टर ख.नं. 1370 रकबा 0.07 हैक०, कुल 2 किता कुल रकबा 0.15 हैक्टर कृषि भूमि स्थित थी खातेदार पुष्पा बाई की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण मृतक पुष्पाबाई के विधिक वारिसान हैं जो कि वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। यह कि ख. नं. 1368 में से 0.06 हैक०, भूमि व ख.नं. 1370 में से 0.06 हैक०, भूमि अर्थात 0.12 हैक०, भूमि इटावा में बाई पास रोड निकलने से इन्तकाल नं. 1367 दिनांक 17.5.06

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

से पीडब्ल्यू डी के खाते में दर्ज हो गई है। 0.12 हैक्टर भूमि पीडब्ल्यू डी के खाते में दर्ज हुई है। जिसका मुआवजा वादीगण ने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार अब मौके पर खसरा नं. 1368 की रकबा 0.02 हैक०, व ख.नं. 1370 की रकबा 0.01 हैक०, भूमि शेष रही जिस पर वादीगण काबिज चले आ रहे। इस भूमि को आगे वाद पत्र में विवादित भूमि से सम्बोदित किया गया है। यह कि प्रतिवादी कम 1 व 2 जरदस्ती ताकत के बल पर वादीगण के कब्जे व खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्ध कब्जा नहीं करने व निर्माण नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है।

(अ) कि प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाके ग्राम इटावा आराजी खसरा नं. 1368 रकबा 0.02 हैक०, व ख.नं. 1370 रकबा 0.01 हैक०, भूमि में वादीगण को बेदखल नहीं करे वादी के कब्जे में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा कोई निर्माण कार्य नहीं करें ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करवाये ।

(ब) कि दौराने वाद प्रतिवादी कम 1 व 2 किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर लेते हैं तो उसे हटवाया व तुडवाया जावे ।

वादी की ओर से वाद श्री गिरिराज कुशवाहा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की जावे। प्रतिवादीकम 1 स्वयं उपस्थित व प्रतिवादीकम 2 व 3 की तलबी रजि0 ए0डी0 से की गई। प्रतिवादीकम 2 की तरफ से श्री विकास पारेता ने वकालतनामा पेश किया। बावजूद सूचना अनुपस्थित होने पर प्रतिवादीकम 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जवाब सरकार की आवश्यकता नहीं होना बताया गया। प्रतिवादीकम 2 को कई अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादीकम 2 का जवाब बंद किया जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। वादी वकील की ओर से साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 रामचन्द्र व पी0डब्ल्यू 2 नेमीचन्द पेश किए। शामिल पत्रावली किए गए। साक्ष्यप्रतिवादी बंद की गई। साक्ष्य प्रतिवादी पेश करने हेतु कई अवसर दिए जाने पर भी साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वादी वकील उपस्थित। वकल प्रतिवादी अनुपस्थित। बहस हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर दिए जा चुके है। बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी वकील ने अपने समर्थन पर साक्ष्यवादी शपथ पत्र में प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत 2074–77, प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी सम्वत 2062–65, प्रदर्श 3 नक्शा ट्रेस पेश किए। ग्राम इटावा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में आराजी 1368 रकबा 0.08है0, ख0नं0 1370 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 कृषि भूमि में खातेदार पुष्पाबाई थी। पुष्पाबाई की मृत्यु के पश्चात वादीगण पुष्पाबाई के विधिक वारिसान है जो मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। चूंकि विवादित आराजी के वादीगण खातेदार काश्तकार है और निरन्तर काबिज काश्त चले आ है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीकम 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा तह0 पीपल्दा ख0नं0 1368 रकबा 0.02है0 व ख0नं0 1370 रकबा 0.01है0 जो कि वादीगण की खातेदारी भूमि है के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीकम 1 व 2 किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधि से करवाए। दौराने वाद अगर प्रतिवादीकम 1 व 2 ने वादगत आराजी पर

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

कब्जा कर लिया हो तो तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे कब्जे को हटवा कर वादीगण को कब्जा सुपुर्दगी करे। तदनुसार डिकी मूर्तिब की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
42 / 2021	26 / 04 / 2021	20 / 06 / 2025

1. रामचन्द्र पुत्र श्री नाथूलाल जाति कलाल निवासी लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल निवासी सागोंद तह० सागोंद जिला कोटा राज०

2. जगदीश पुत्र श्री नाथूलाल जाति कलाल निवासी लुहावद हाल निवासी मकान नं. ए 69 वैशाली नगर थेगडा के पास कोटा राज०

3. किशनचन्द्र पुत्र श्री नाथूलाल जाति कलाल निवासी लुहावद हाल निवासी मकान नं. ए 69 वैशाली नगर थेगडा के पास कोटा राज०

4. श्रीमति मन्जू पुत्री श्री नाथूलाल पत्नि श्री अनिल निवासी लुहावद निवासी डी. सी.एम. कोटा जिला कोटा राज०

5. श्रीमति रेनू पुत्री श्री नाथूलाल पत्नि श्री अंकित निवासी लुहावद हाल निवासी बोथ बडा तहसील व जिला बारां राज०

6. नाथूलाल पुत्र श्री छगनलाल जाति कलाल निवासी लुहावद हाल निवासी मकान नं. ए 69 वैशाली नगर थेगडा के पास कोटा राज०

वादीगण

बनाम

1. रामू उर्फ रामावतार पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी लुहावद हाल निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

2. जगदीश पुत्र नामनामालूम जाति खठीक निवासी बाईपास रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, आर.टी. एक्ट

निर्णय–20/06/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री गिरिराज कुशवाहा एड0 एडवोकेट मिनजानिब मुददई रूबरू ....एड0 मिनजानिब मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीक्रम 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा तह0 पीपल्दा ख0नं0 1368 रकबा 0.02है0 व ख0नं0 1370 रकबा 0.01है0 जो कि वादीगण की खातेदारी भूमि है के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीक्रम 1 व 2 किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधि से करवाए। दौराने वाद अगर प्रतिवादीक्रम 1 व 2 ने वादगत आराजी पर कब्जा कर लिया हो तो तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे कब्जे को हटवा कर वादीगण को कब्जा सुपुर्दगी करे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 20/6/25 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

Raminwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा